न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा
पीठासीन अधिकारी : श्री नरेश सोनी, आर.ए.एस

मुकदमा राजस्व वाद 48/2022

वादी :– 1. भलाराम पुत्र भोमाराम जाति भील उम्र 45 साल निवासी साम्भरा तह0 पचपदरा जिला बाडमेर ।

बनाम

प्रतिवादीगण :– 1. बींजाराम पुत्र भोमाराम जाति भील
2. रावताराम पुत्र भोमाराम जाति भील
निवासी साम्भरा तह0 पचपदरा जिला बाडमेर ।
3.. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचपदरा जिला बाडमेर ।

दावा बाबत् रेकर्ड दुरस्ती

उपस्थित :– श्री भूपेन्द्र गहलोत वकील वादी

निर्णय दिनांक :– 07.06.2022

वादी की और से प्रस्तुत वादपत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी का सरहद मौजा साम्भरा तहसील पचपदरा के खसरा न. 14 रकबा 16 बीघा 18 विस्वा, भूमि कब्जा काश्त कृषि भूमि अवस्थित है। उक्त कृषि भूमि वादी व प्रतिवादी सं. 01 ने अपने पूर्व हकपूर्वाधिकारी से जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख सं0 1313/1997 दिनांक 30.12.1997 को खरीद किया जिसका बेचाननामा उप पंजीयक कार्यालय पचपदरा में पंजीयन करवाया गया। उक्त भूमि खरीद करते समय वादी का नाम पंजीकृत विक्रय विलेख में भूलवंश एवं लिपिकीय त्रुटि से घरेलु बोलचाल वाला नाम भंवराराम दर्ज हो गया, किन्तु वादी का सही व वास्तविक नाम भलाराम है, राजस्व रेकर्ड में त्रुटिपूर्ण नाम दर्ज होने से मौके पर विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गयी है। वादी के अन्य सभी सरकारी दस्तावेजात आधार कार्ड, राशनकार्ड, बैंक डायरी, मतदाता पहचान पत्र वादी के बच्चों के स्कूल इत्यादी में वादी का सही नाम भलाराम दर्ज है, किन्तु राजस्व रेकर्ड में घरेलू नाम भंवराराम दर्ज होने सेवादी को भारी असुविधा उत्पन्न हो रही है। उक्त खातेदारी भूमि के के उपयोग उपभोग ऋण या सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। वादी अनपढ़ काश्तकार है जिस [illegible] स्व रेकर्ड को देखने की कभी जरूर नहीं हुई। वादी ने दिनांक [illegible] के अनुसार उसका नाम भलाराम पुत्र भोमाराम की जगह भंवराराम पुत्र भोमाराम [illegible] का नाम गलत दर्ज हो गया है। जिसका पता वादी को चलने पर तहसीलदार, प[illegible]रा से वादी का नाम गलत दर्ज होने दुरूस्त करने की हिदायत देने पर घोषणा का दावा प्रस्तुत किया गया। वादी का सही नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज नहीं होने से वादी अपनी कब्जा सुदा काश्त की भूमि का सरकारी उपयोग जैसे केसीसी ऋण इत्यादी का उपयोग नहीं कर पा रहा है । जिससे वादी को उक्त रेकर्ड दुरस्ती करने हेतु वाद पत्र प्रस्तुत किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.10.01 19:09:18 IST
Reason: SelfAttested

(नरेश सोनी)
सहायक कलक्टर
(SDO) बालोतरा

वादी का वाद दर्ज कर प्रतिवादीगण को दिनांक 06.04.2022 को सम्मन जारी किये गये। प्रतिवादीगण 1 व 2 की और से इकबाली जवाबदावा प्रस्तुत किया गया। वादी का सही नाम भलाराम पुत्र भोमाराम दुरूस्ती करने पर सहमति प्रकट की गयी। इसमें उन्हे कोई ऐतराज नहीं है। तहसीलदार पचपदरा से इस सबंध में रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी की गयी।

तहसीलदार पचपदरा द्वारा क्रमांक/भू.अ./2022/940 दिनांक 01.06.2022 को तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई । तहसीलदार पचपदरा ने रिपोर्ट में जाहिर किया कि वादी की पहचान दस्तावेजों एवं सरपंच ग्राम पंचायत आकड़ली के द्वारा जारी प्रमाण–पत्र पड़ोसी खातेदारों एवं सहखातेदारों व परिवार के सदस्यों द्वारा दिये गये शपथ पत्र के आधार पर वादी भलाराम पुत्र भोमाराम एवं भंवराराम पुत्र भोमाराम दोनो एक ही व्यक्ति है ।

हमनें वादी वकील की एकपक्षीय बहस को सुना व पत्रावली व पत्रावली में संलग्न दस्तावेंजात की छाया प्रति आधार कार्ड,एवं वादी के पहचान के दस्तावेजों एवं तहसीलदार पचपदरा द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट का अवलोकन व अध्ययन किया गया । जिसमें वादी का सही व शुद्व नाम भलाराम पुत्र भोमाराम है। राजस्व रेकर्ड में भंवराराम पुत्र भोमाराम गलत नाम दर्ज है, वादी के वाद को स्वीकार करने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

उपरोक्त विस्तृत विवेचन के अनुसार तहसीलदार, पचपदरा की गयी विस्तृत जांच रिपोर्ट के आधार पर वादी का दावा स्वीकार करने एवं डिक्री करने योग्य होने से वादी का वाद स्वीकार किया जाकर तहसीलदार पचपदरा को आदेशित किया जाता है मौजा सरहद मौजा साम्भरा तहसील पचपदरा के खसरा न. 14 रकबा 16 बीघा 18 विस्वा, भूमि में वादी का भंवराराम पुत्र भोमाराम गलत नाम के स्थान पर सही नाम भलाराम उर्फ भंवराराम पुत्र भोमाराम का अमलदरामद करे। डिक्री पर्चा जारी हो । खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करे।

सहायक कलेक्टर (S.D.O.)

(नरेश सोनी)
सहायक कलेक्टर
बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.10.01 19:09:18 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 07.06.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
बालोतरा